संख्या: 17/2016/996/26-2-2016

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन
2. प्रमुख सचिव,
   बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन
3. सचिव,
   बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन
4. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश
5. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2016

विषय: समाजवादी पेंशन योजना की कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था एवं अन्तर्विभागीय समन्वय के संबंध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-5/15/405/26-2-2015, दिनांक 12 फरवरी, 2015, शासनादेश संख्या-8/2015/1097/26-2-2015, दिनांक 27 अप्रैल, 2015, शासनादेश संख्या-23/2015/2194/26-2-2015, दिनांक 14 सितंबर, 2015 एवं शासनादेश संख्या-25/2015/2258/26-2-2015, दिनांक 30 सितंबर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से समाजवादी पेंशन योजना के लाभान्वित परिवारों के बेसलाईन सर्वेक्षण एवं बेसलाईन सर्वेक्षण के अद्यावधीकरण, लाभार्थी परिवार के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के संबंध में प्रपत्रों के भरे जाने तथा समाजवादी पेंशन योजना की कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था के अंतर्गत विकसित आउट ऑफ स्कूल पाये गये बच्चों हेतु नामांकन मॉड्यूल, साक्षरता मॉड्यूल, उपस्थिति मॉड्यूल, टीकाकरण मॉड्यूल, प्रसूति मॉड्यूल, परिवार कल्याण मॉड्यूल एवं विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण मॉड्यूल के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये थे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- वर्ष 2014-15 में समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 33.35 लाख लाभार्थी लाभान्वित किये गये थे। इन लाभार्थियों का **बेसलाईन सर्वेक्षण** स्वास्थ्य विभाग के आशा/ए0एन0एम0 के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में किया गया था। अद्यतन सूचना के अनुसार उपरोक्त 33.35 लाख लाभार्थियों के सापेक्ष लगभग 32.21 लाख (96.58 प्रतिशत) लाभार्थियों का बेसलाईन सर्वेक्षण पूर्ण कर वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। अवशेष लाभार्थियों के बेसलाईन सर्वेक्षण को पूर्ण कर उनका विवरण दिनांक 15 अप्रैल, 2016 तक अपलोड करने के निर्देश शासनादेश संख्या-6/2016/768/26-2-2016, दिनांक 17 मार्च, 2016 में दिये गये थे। सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि यदि वर्ष 2014-15 के लाभान्वित किये गये लाभार्थी दिये गये पते पर उपलब्ध नहीं हैं तथा विशेष प्रयास करने के बावजूद उनका अता-पता नहीं है, तो ऐसे लाभार्थियों के पेंशन को रोकने हेतु "स्टॉप पेंशन" का विकल्प वेबसाईट पर संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को तत्काल करना होगा। सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करायेंगे कि ऐसे किसी भी लाभार्थी को वर्ष 2016-17 में समाजवादी पेंशन की प्रथम किश्त का भुगतान न हो, जिनका बेसलाईन सर्वेक्षण वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया हो। **यदि ऐसे किसी लाभार्थी को भुगतान होना पाया जाता है तो संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित कर अंतरित की गयी धनराशि की वसूली उनके वेतन से की जायेगी।**

3- वर्ष 2014-15 में लाभान्वित किये गये लाभार्थियों के बेसलाईन सर्वे को इस वर्ष **अपडेट** किये जाने की आवश्यकता है। शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2015 में त्रैमासिक अद्यावधीकरण की व्यवस्था की गयी थी। विभिन्न कारणों से प्रत्येक त्रैमास में सभी लाभार्थियों के बेसलाईन सर्वेक्षण के विवरण का अद्यावधीकरण किया जाना संभव नहीं हो सका है। चूँकि टीकाकरण एवं प्रसूति मॉड्यूल में प्रत्येक माह विवरण का अद्यावधीकरण किया जाता है, अतएव सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि योजना के अंतर्गत सभी चयनित परिवारों, जिनका विस्तृत बेसलाईन सर्वेक्षण पूर्ण किया जा चुका है, से संबंधित सूचना का अद्यावधीकरण (updation) वर्ष में 01 बार अप्रैल-मई माह के दौरान किया जायेगा। इस सीमा तक शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2015 को संशोधित समझा जाए।

4- अतएव वर्ष 2014-15 में लाभान्वित किये गये समस्त लाभार्थियों का **अपडेशन प्रपत्र** वेबसाईट sspy-up.gov.in से संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय वार डाउनलोड कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध करायेंगे ताकि अपडेशन प्रपत्र को **दिनांक 31 मई, 2016 तक** पूर्ण कर उनके विवरण को वेबसाईट पर जून, 2016 में ऑनलाईन अंकित करने की कार्यवाही की जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- वर्ष 2015-16 में समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये गये परिवारों, जिनकी संख्या लगभग 9.2 लाख है, का विस्तृत बेसलाईन सर्वेक्षण कराया जाना है। ऐसे समस्त लाभार्थियों का **बेसलाईन सर्वेक्षण प्रपत्र** वेबसाईट sspy-up.gov.in से संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय वार डाउनलोड कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध करायेंगे ताकि बेसलाईन सर्वेक्षण प्रपत्र को **दिनांक 31 मई, 2016 तक** पूर्ण कर उनके विवरण को वेबसाईट पर जून, 2016 में ऑनलाईन अंकित करने की कार्यवाही की जा सके।

6- वर्ष 2015-16 में बेसलाईन सर्वेक्षण में 0 से 5 आयु वर्ग के चिन्हित् लगभग 5.49 लाख बच्चों में से लगभग 3.32 लाख (60.51 प्रतिशत) के टीकाकरण का विवरण **"टीकाकरण मॉड्यूल"** में अंकित किया गया है। इसी प्रकार बेसलाईन सर्वेक्षण में चिन्हित् 25,809 गर्भवती महिलाओं में से 17,805 (69 प्रतिशत) के संस्थागत प्रसव से संबंधित विवरण **"प्रसूति मॉड्यूल"** में अंकित किया गया है। यह आवश्यक है कि अवशेष सभी चिन्हित् बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव से संबधित विवरण टीकाकरण एवं प्रसूति मॉड्यूल में अविलंब अंकित कराये जायें। कतिपय जनपदों में जहां प्रगति अत्यंत खराब है, वहॉ जिलाधिकारी स्वयं व्यक्तिगत ध्यान देकर यह कार्य विलंबतम **दिनांक 15 मई, 2016 तक** पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। **यदि उक्त तिथि तक यह कार्य पूर्ण नहीं होता है तो संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक मेडिकल आफिसर इन चार्ज का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।**

7- बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में लाभान्वित किये गये 33.35 लाख लाभार्थियों के सापेक्ष 32.88 लाख लाभार्थियों के सर्वेक्षण प्रपत्र को अपलोड किया जा चुका है। 6 से 14 आयु वर्ग के चिन्हित् 22,694 बच्चे, जो आउट ऑफ स्कूल पाये गये थे, में से 15,352 (67.65 प्रतिशत) के नामांकन का विवरण **"नामांकन मॉड्यूल"** में अंकित किया जा चुका है। सॉफ्टवेयर में अभ्युक्ति कॉलम की व्यवस्था कर दी गयी है, जिसमें ऐसे बच्चे, जिनका किन्हीं कारणों से स्कूल में नियमित छात्र के रूप में नामांकन कराया जाना संभव नहीं है, का विवरण भरा जा सकेगा ताकि शत-प्रतिशत आउट ऑफ स्कूल पाये गये बच्चों के नामांकन से संबंधित विवरण उपलब्ध हो सके।

8- इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में लाभान्वित किये गये 33.35 लाख लाभार्थियों के सापेक्ष 30.51 लाख (91.41 प्रतिशत) लाभान्वित परिवारों के 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर सदस्यों के चिन्हीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। अवशेष परिवारों के सर्वेक्षण का विवरण भी विलंबतम **दिनांक 15 मई, 2016 तक** अपलोड कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। अब तक कुल चिन्हित् 5,45,399 निरक्षर व्यक्तियों को इस वर्ष साक्षर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है तथा उनके मार्च एवं अगस्त माह में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने तथा उत्तीर्ण होने का विवरण ऑनलाईन **"साक्षरता मॉड्यूल"** में अंकित करना आवश्यक है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- वर्ष 2015-16 में समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये गये परिवारों, जिनकी संख्या लगभग 9.2 लाख है, का विस्तृत सर्वेक्षण कर **6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित् कर** विद्यालय में नामांकन कराया जाना है। इसी प्रकार इन परिवारों में 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को भी सर्वेक्षण कर चिन्हित् करने के उपरांत साक्षरता केन्द्रों में नामांकित कराकर अगले 01 वर्ष में साक्षर बनाया जाना है। ऐसे समस्त लाभार्थियों का **सर्वेक्षण प्रपत्र** वेबसाईट sspy-up.gov.in से संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय वार डाउनलोड कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध करायेंगे ताकि सर्वेक्षण प्रपत्र को **दिनांक 31 मई, 2016 तक** पूर्ण कर उनके विवरण को वेबसाईट पर जून, 2016 में ऑनलाईन अंकित करने की कार्यवाही की जा सके।

10- वर्ष 2015-16 में अद्यतन सूचना के अनुसार कुल 1,59,923 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 1,29,900 विद्यालयों (81.23 प्रतिशत) में तैनात लगभग 4.44 लाख शिक्षकों का विवरण **"उपस्थिति मॉड्यूल"** के मास्टर डाटा में अपलोड किया गया है। इसी प्रकार 1,41,060 विद्यालयों में अध्ययनरत् लगभग 1.45 करोड़ छात्रों का विवरण मास्टर डाटा में अपलोड किया गया है। सभी जिलाधिकारी यह समीक्षा कर लें कि उनके जनपद के किन विद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षकों का विवरण अपलोड नहीं किया गया है तथा यह सुनिश्चित करायें कि ऐसे समस्त विद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षकों का विवरण "उपस्थिति मॉड्यूल" के मास्टर डाटा में अनिवार्य रूप से **दिनांक 31 मई, 2016 तक** अपलोड करा दिया जाय। **यदि उक्त तिथि तक यह कार्य पूर्ण नहीं होता है तो संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।**

11- वर्ष 2016-17 में "उपस्थिति मॉड्यूल" के मास्टर डाटा में डाटा इंट्री का कार्य कम-से-कम रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कक्षा-1 एवं 6 में नवप्रवेशित समस्त छात्रों का विवरण ऑनलाईन अंकित करना होगा। अवशेष कक्षाओं यथा कक्षा-2 से 5 तथा कक्षा-7 एवं 8 में विगत वर्ष के प्रोन्नत छात्रों का विवरण वेबसाईट पर स्वमेव प्रदर्शित होगा। यदि उन कक्षाओं में किसी नये छात्र का प्रवेश लिया जाता है, तो उस छात्र का नाम सबसे अंत में रोल नंबर के साथ अंकित किया जायेगा। यदि कोई छात्र उस विद्यालय में पढ़ना छोड़ देता है अथवा स्थानांतरण प्रमाण-पत्र लेकर किसी अन्य विद्यालय में अपना नामांकन करा लेता है, तो उस छात्र के नाम को सॉफ्टवेयर में ब्लॉक करने की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार विद्यालय में तैनात सभी अध्यापकों का विवरण सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होगा और यदि किसी अध्यापक का स्थानांतरण हो जाता है अथवा किसी अन्य कारण से वह उस विद्यालय में तैनात नहीं है, तो ऐसे अध्यापकों के विवरण को एडिट करने की व्यवस्था सॉफ्टवेयर में की गयी है। यह आवश्यक है कि उपरोक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्य प्रत्येक दशा में **दिनांक 30 जून, 2016 तक** पूर्ण कर लिया जाय ताकि जुलाई माह से एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रति दिन छात्रों की उपस्थिति के अनुश्रवण की व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

12- समाजवादी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है एवं शासन के वर्ष 2016-17 के विकास का एजेंडा में सम्मिलित है। यह देश की प्रथम "सशर्त कैश ट्रांसफर" योजना भी है। इस योजना के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन से ही योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। अतएव इस योजना के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उपरोक्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या: 17/2016/996 (1)/26-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक, समाज कल्याण/बेसिक शिक्षा/साक्षरता/बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ
3. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ
8. विभागीय पुस्तिका

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।